फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

लच्छु बनाम रमेश

केस संख्या : 14/21 धा.41

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22/7/24	दिनांक 20/7/24 को अवकाश होने से पत्रावली आज दिनांक 22/7/24 को पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आज अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/8/2024 को पेश हो।
	7/8/2024	पत्रावली प्रस्तुत। व०क० उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रा०पत्र O1 R13 एवं धारा 151 व धारा-5 मियाद अधिनियम व धारा 41 नियम 5 सपठित धारा 151 खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

Scanned with ACE Scanner

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी :मिथलेश मीणा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र 14/2021

निर्णय दिनांक : 07.08.2024

लच्छूराम पुत्र भूराराम जाति अहीर निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजेश पुत्र कालूराम जाति अहीर निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....अप्रार्थी

2. गोपाल लाल पुत्र भूराराम जाति अहीर निवासी
3. प्रकाश चन्द पुत्र कालूराम जाति अहीर
4. समस्त निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. ललित यादव पुत्र श्री बालचन्द यादव जाति यादव निवासी 89, पांचू बाबा की कोठी गोविन्दपुरा जयपुर।
6. सीता देवी पत्नी अम्बालाल यादव निवासी बडारामा बाड पीथावास कालवाड रोड तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक आमेर जिला जयपुर।
9. बैंक ऑफ बडौदा शाखा राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
10. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 9 नियम – 13 एवं धारा 151 व धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश 41 नियम 5 सपठित धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति :– (1) श्री महेश चन्द शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
(2) श्री गौरी शंकर शर्मा – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या – 1 ओर से
(3) श्री मोहन लाल जाट – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या – 2, 3, 5, 6 की ओर से

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

दिनांकः–07.08.202

निर्णय

न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधी
उपरोक्त प्रकरण में अप्रार्थी 1 राजेश की ओर से 24.11.2021 को ए
प्रार्थना पत्र बाबत एकपक्षीय कार्यवाही एवं प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री निरस
करने बाबत् अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. एवं धारा 151 व धारा
मियाद अधिनियम एवं आदेश 41 नियम 5 सपठित धारा 11 सिविल प्रक्रिय
संहिता पेश किया गया। प्रार्थना पत्रो के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, कि
मिन अप्रार्थी राजेश ने न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय व डिक्र
दिनांक 09.09.2021 व संपठित आदेश दिनांक 12.10.2021 सही तथ्यों ए
रिकार्ड एवं न्याय शास्त्र के सिद्वांतों के विपरित होने से निरस्तनीय है। मान
न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को सही अर्थो में समझे बिना कत
परवर्स आर बी टेट्री एण्ड कोन्ट्रेरी टू लॉ एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारि
कर भयंकर कानूनी गलती की है इस के लिए मान्य न्यायालय द्वारा पारि
एक पक्षीय निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। मान्य न्यायालय
निर्णय एवं डिक्री अधीन प्रार्थना पत्र पारित करने पूर्व प्रार्थी संख्या 3 क
सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर प्राकृतिक न्याया के सिद्वांत
की स्पष्ट रूप से अवहेलना की है इसलिए मान्य न्यायालय हाजा द्वारा पारि
निर्णय व डिक्री अधीन प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्
है। मान्य न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी ने दिनांक 26.07.202
को वाद प्रस्तुत किया जिस पर मान्य न्यायालय ने दिनांक 31.08.2021 क
पेशी के नोटिस अप्रार्थीगण को जारी करने के आदेश दिये है दिनांक 31.08
2021 की पेशी का कोई सम्मन/नोटिस लेकर तामील कुन्निदा प्रार्थी के पास
नहीं आया है। प्रार्थी ने न ही न्यायालय हाजा का नोटिस लेने से ही मन
किया है। वादी एवं अन्य अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के सम्मन नोटिस की इन्कार
से फर्जी व साजसी तामील कुन्निदा से मिलकर करवाई है एवं उस फर्जी ए
साजसी तामील के आधार पर मान्य न्यायालय ने दिनांक 09.09.2021 क
प्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही कर उसी दिन एक पक्षीय निर्णय
प्राथमिक डिक्री अधीन प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय से प्रार्थी एवं अन्
अप्रार्थीगण साजकर करवाया गया है जो प्रथम दृष्टया ही अवैध होने
निरस्तनीय है। मान्य न्यायालय का कोई सम्मन नोटिस नहीं मिलने से अप्रार्थ
संख्या 3 अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका है प्रार्थी व अप्रार्थीगण
साज कर दावा पेश किया है तथा साज कर ही निर्णय व डिक्री अधी
प्रार्थना पत्र पेश करवाया है प्रार्थी अपनी आराजीयात पर मकान बनाकर
बोरिंग बनाकर काबिज काश्त है। वाद अधीन आराजीयात के अलाव
पक्षकारान की अन्य भूमियां खसरा नंबर 37, 38, 39, 40, 42/256 ग्रा
शुभरामपुरा में स्थित है। कानूनन व न्यायनुसार सभी भूमियों का विभाजन
होना चाहिये उन भूमियों को छोडकर वादी ने केवल वाद अधीन भूमि क

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

संबंध में वाद प्रस्तुत किया है। जो कानूनन पेश रफत व मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज योग्य था प्रार्थी ने मान्य न्यायालय से तथ्य छिपाकर वाद प्रस्तुत किया है। साज कर निर्णय व डिक्री अधीन प्रार्थना पत्र पारित करवाया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। प्रार्थी को बचाव का अवसर मिलता तो प्रार्थी समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुये जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करता प्रार्थी एवं अन्य अप्रार्थीगण भूमियां बेचकर क्रेताओं को अच्छी अच्छी भूमियों पर कब्जा करवा रहे तथा आगे भी कब्जा करवाने हेतु आतुर है। निर्णय व डिक्री अधीन प्रार्थना पत्र से प्रार्थी के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। पारित निर्णय व डिक्री अधीन प्रार्थना पत्र कतई अवैध व अनुचित होने से निरस्तनीय है। मान्य न्यायालय का कोई सम्मन नोटिस दिनांक 31.08.2021 का अन्य किसी दिन व दिनांक का लेकर तामील कुन्निदा प्रार्थी के पास नहीं आया है न प्रार्थी ने सम्मन नोटिस लेने से इन्कार किया है। प्रार्थी एवं अन्य अप्रार्थीगण ने तामील कुन्निदा से साज व षडयंत्र रचकर प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 3 की इन्कारी की फर्जी व साजसी तामील करवाई है तथा उसके आधार पर दिनांक 09.09.2021 को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने साजकर एकपक्षीय निर्णय डिक्री दिनांक 09.09.2021 को पारित करवाई है। जिसका ज्ञान अब से पूर्व प्रार्थी किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है दिनांक 16.11.2021 को पटवारी हल्का कुर्रेजात बनाने हेतु नोटिस देने आया तथा उसने निर्णय व डिक्री अधीन प्रार्थना पत्र के बारे में बताया तब प्रार्थी को निर्णय व डिक्री अधीन प्रार्थना पत्र की जानकारी हुई उसके पश्चात् प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में आकर सम्पूर्ण पत्रावली के लिए दिनांक 22.11.2021 को नकल आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नकल उसी दिन दिनांक 22.11.2021 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होने पर एवं उसको पढाने पर सर्वप्रथम प्रार्थी को निर्णय व डिक्री अधीन प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2021 व प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा की गई अवैध कार्यवाहियों का सम्पूर्ण ज्ञान हुआ है। इससे पूर्व निर्णय व डिक्री अधीन प्रार्थना पत्र का किसी भी सूरत में किसी भी स्रोत्र से ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान की तारीख से यह प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष अन्दर अवधी प्रस्तुत है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम निम्न प्रस्तुत किया गया। उसमें प्रार्थी ने बताया मान्य न्यायालय का कोई सम्मन नोटिस दिनांक 31.08.2021 का अन्य किसी दिन व दिनांक का लेकर तामील कुन्निदा प्रार्थी के पास नहीं आया है न प्रार्थी ने सम्मन नोटिस लेने से इन्कार किया है। प्रार्थी एवं अन्य अप्रार्थीगण ने तामील कुन्निदा से साज व षडयंत्र रचकर प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 3 की इन्कारी की फर्जी व साजसी तामील करवाई है तथा उसके आधार पर दिनांक 09.09.2021 को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने साजकर एकपक्षीय निर्णय डिक्री दिनांक 09.09.2021 को पारित करवाई है। जिसका ज्ञान अब से पूर्व प्रार्थी किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है दिनांक 16.11.2021 को पटवारी हल्का कुर्रेजात बनाने हेतु नोटिस देने आया तथा उसने निर्णय व डिक्री अधीन

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

प्रार्थना पत्र के बारे में बताया तब प्रार्थी को निर्णय व डिक्री अधीन प्रार्थना पत्र की जानकारी हुई उसके पश्चात् प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में आकर सम्पूर्ण पत्रावली के लिए दिनांक 22.11.2021 को नकल आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नकल उसी दिन दिनांक 22.11.2021 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होने पर एवं उसको पढाने पर सर्वप्रथम प्रार्थी को निर्णय व डिक्री अधीन प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2021 व प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा की गई अवैध कार्यवाहियों का सम्पूर्ण ज्ञान हुआ है। इससे पूर्व निर्णय व डिक्री अधीन प्रार्थना पत्र का किसी भी सूरत में किसी भी स्रोत्र से ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान की तारीख से यह प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष अन्दर अवधी प्रस्तुत है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 संपठित धारा 151 सी पी सी प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों से अप्रार्थी संख्या 3 के हक में प्रथम दृष्टया केस होना प्रमाणित है। अपील के आधारों को इस प्रार्थना पत्र में यहां वर्णित समझे जावे। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी संख्या 3 की इन्कारी से फर्जी व साजसी तामील करवाकर मान्य न्यायालय से एक पक्षीय निर्णय व डिक्री अधीन प्रार्थना पत्र पारित करवाया है जिसका ज्ञान प्रार्थी को नहीं होने दिया है प्रार्थी अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका है प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण ने साज कर रखी है तथा साज कर ही निर्णय व डिक्री अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया है प्रार्थी अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। अब प्रार्थी व अन्य अप्रार्थी तुरंत फुरत में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करवाने हेतु प्रयासरत है जिसमें यदि वे सफल हो गये तो वे प्रार्थी के वैधानिक साम्पत्तिक अधिकारों पर कुठारघात होगा जिसे प्रार्थी को असहाय क्षति होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 राजेश द्वारा दिनांक 22.4.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी गोपाल, प्रकाश, ललित, सीतादेवी ने जवाब पेश नहीं किया अतः दिनांक 12.05.2022 को जवाब का अवसर बंद किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के जवाब में वर्णित किया की प्रार्थी ने माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया है परंतु उक्त प्रार्थना पत्र असाधारण रूप से मियाद बाहर पेश किया है जो मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 आधारहीन है जिसमें कोई ठोस आधार नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को कतई सफलता नहीं मिल सकती। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में सफलता की आशा रखना व्यर्थ एव निरर्थक है जो मृग तृष्णा के समान है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में प्रार्थी ने सर्वथा मिथ्या व गलत तथ्य अंकित किये है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.07.2021 को माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

था। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.07.2021 को वाद नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के सूचना पत्र/नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये गये थे और दिनांक 26.07.2021 को डिस्पेच नंबर 3241–49 तक के सम्मन/नोटिस वास्ते तामील जारी कर दिये गये थे। दिनांक 31.08.2021 को पत्रावली वास्ते तामील इंतजार में नियत थी और दिनांक 06.09.2021 को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल जाट की ओर से वकालतनामा पेश किया गया एवं अन्य अप्रार्थीगण की तामील पूर्व में हो चुकी थी। प्रार्थी ने उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने के लगभग 3 माह 9 दिन के असाधारण विलम्ब से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 पेश किया है और उक्त असाधारण विलम्ब का कोई युक्तियुक्त व संतोषप्रद कारण व स्पष्टीकरण नहीं बताया है। प्रार्थी ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0 एक्ट के तहत पेश नहीं की है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत अपीलीय भाषा का प्रयोग किया है। प्रार्थी भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है।

न्यायिक दृष्टांत 2017 (1) आर.आर.टी. पेज 117 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वांत प्रतिपादित किया गया कि धारा 5 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–धारा 100–विलम्ब का शमन–अपील पेश करने में 2344 दिनों का विलम्ब–मुवक्किल की निष्क्रियता और सूस्ती–उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता अन्यथा यह मियाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा– विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं–निर्णित, प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने योग्य है।

न्यायिक दृष्टांत 2017 (1) आर.आर.टी. पेज 711 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वांत प्रतिपादित किया गया कि धारा 5– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, आदेश 7, नियम 11– वाद पत्र खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया –निगरानी पेश करने में 224 दिनों का विलम्ब–याची ने अभिवचन किया कि वकील ने आदेश की सूचना नहीं दी–मुवक्किल को पर्याप्त जागरूक होना चाहिये और स्वयं को लम्बित कार्यवाहियों के बारे में सूचना रखनी चाहिये–सन्तोषप्रद रूप से विलंब स्पष्ट नहीं किया–निर्णित, धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र व निगरानी खारिज योग्य है।

न्यायिक दृष्टांत 2018 (1) आर.आर.टी. पेज 188 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वांत प्रतिपादित किया गया कि धारा–5 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–धारा 96–विलंब का शमन–लापरवाही–2 साल 6 महीने के बाद प्रथम अपील पेश करने की जवाब दावा रिकॉर्ड पर नहीं लिया लेकिन चुनौती नहीं दी और अंत में एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कराने हेतु याचीगण ने कोई प्रयास नहीं किया – वकील पर लापरवाही आरोपित करने की याचीगण को अनुमति नहीं दी जा सकती–मुवक्किल को स्वयं पर्याप्त जागरूक होना चाहिए और कार्यवाहियों के

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

बारे में जानकारी रखनी चाहिए–विलंब माफ करने हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं किया–निर्णित, आदेश में अवैधता या क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि नहीं है।

न्यायिक दृष्टांत 2018 (2) आर.आर.टी पेज 1381 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने यह सिद्वांत प्रतिपादित किया कि धारा 5–अपील पेश करने में विलंब–निर्णय हेतु प्रकरण 14.02.2012 को नियत था लेकिन निर्णय उद्घोषित नहीं किया और 23.02.2012 तारीख नियत की– अपीलाण्ट 23.02.2012 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और प्रकरण के परिणाम के बारे में जानने की चिंता नहीं की–अस्पष्ट आधारों पर धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आधारित है–विलंब शमन हेतु पर्याप्त कारण नहीं बताया–निर्णीत, प्रार्थना पत्र व अपील खारिज होने योग्य है।

न्यायिक दृष्टांत 2016 (2) आर.आर.टी. पेज 1091 में माननीय राजस्व मण्डल ने यह सिद्वांत प्रतिपादित किया कि धारा 5– राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1955–धारा 15 (1), 23 (2) (ए)–सीलिंग मामला पुनः खोला लेकिन समाप्त किया–अपील पेश करने में विलंब संतोषप्रद ढंग से स्पष्ट नहीं किया–धारा 5 के अन्तर्गत पेश किया प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या – 1 की ओर से उक्त शीर्षकीय प्रार्थना पत्र का जवाब निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है प्रार्थी ने उक्त शीर्षकीय प्रार्थना पत्र के पृष्ठ संख्या 2 में यह अंकित किया कि– "प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 9 नियम 13 एंव धारा 151 सी.पी.सी. बाबत् निरस्त किये जाने एक पक्षीय प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 सपठित आदेश दिनांक 12.10.2021 व राजस्व वाद संख्या 80/2021 राजेश बनाम गोपाल" 352 प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में अनुतोष चाहा कि– "अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्रीमान् मान्य न्यायालय द्वारा वाद संख्या 80/2021 उनवानी राजेश बनाम गोपाल में पारित एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 सपठित आदेश दिनांक 12.10.2021 निरस्त किया जावे व प्रार्थी को वाद की नकल उपलबध करवाई जाकर जवाब सबूत साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जावे। आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० में केवल और केवल एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को मंसुख किये जाने का विधिक प्रावधान स्थापित है। किसी भी आदेश को मंसुख किये जाने का कोई विधिक प्रावधान आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० में स्थापित नहीं है। प्रार्थी ने आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र में भिन्न–भिन्न प्रकार के कुल 4 अनुतोष की मॉग की गई है जबकि आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० के अर्न्तगत भिन्न–भिन्न प्रकार के चारों अनुतोष प्रदान करने का कोई विधिक प्रावधान स्थापित नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० के स्कॉप व परिधी के अर्न्तगत नहीं होने के

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

बारे में जानकारी रखनी चाहिए–विलंब माफ करने हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं किया–निर्णित, आदेश में अवैधता या क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि नहीं है।

न्यायिक दृष्टांत 2018 (2) आर.आर.टी पेज 1381 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने यह सिद्वांत प्रतिपादित किया कि धारा 5–अपील पेश करने में विलंब–निर्णय हेतु प्रकरण 14.02.2012 को नियत था लेकिन निर्णय उद्घोषित नहीं किया और 23.02.2012 तारीख नियत की– अपीलाण्ट 23.02.2012 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और प्रकरण के परिणाम के बारे में जानने की चिंता नहीं की–अस्पष्ट आधारों पर धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आधारित है–विलंब शमन हेतु पर्याप्त कारण नहीं बताया–निर्णीत, प्रार्थना पत्र व अपील खारिज होने योग्य है।

न्यायिक दृष्टांत 2016 (2) आर.आर.टी. पेज 1091 में माननीय राजस्व मण्डल ने यह सिद्वांत प्रतिपादित किया कि धारा 5– राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1955–धारा 15 (1), 23 (2) (ए)–सीलिंग मामला पुनः खोला लेकिन समाप्त किया–अपील पेश करने में विलंब संतोषप्रद ढंग से स्पष्ट नहीं किया–धारा 5 के अन्तर्गत पेश किया प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या – 1 की ओर से उक्त शीर्षकीय प्रार्थना पत्र का जवाब निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है प्रार्थी ने उक्त शीर्षकीय प्रार्थना पत्र के पृष्ठ संख्या 2 में यह अंकित किया कि– "प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 9 नियम 13 एंव धारा 151 सी.पी.सी. बाबत् निरस्त किये जाने एक पक्षीय प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 सपठित आदेश दिनांक 12.10.2021 व राजस्व वाद संख्या 80/2021 राजेश बनाम गोपाल" 352 प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में अनुतोष चाहा कि– "अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्रीमान् मान्य न्यायालय द्वारा वाद संख्या 80/2021 उनवानी राजेश बनाम गोपाल में पारित एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 सपठित आदेश दिनांक 12.10.2021 निरस्त किया जावे व प्रार्थी को वाद की नकल उपलबध करवाई जाकर जवाब सबूत साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जावे। आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० में केवल और केवल एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को मंसुख किये जाने का विधिक प्रावधान स्थापित है। किसी भी आदेश को मंसुख किये जाने का कोई विधिक प्रावधान आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० में स्थापित नहीं है। प्रार्थी ने आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र में भिन्न–भिन्न प्रकार के कुल 4 अनुतोष की मॉग की गई है जबकि आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० के अर्न्तगत भिन्न–भिन्न प्रकार के चारों अनुतोष प्रदान करने का कोई विधिक प्रावधान स्थापित नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० के स्कॉप व परिधी के अर्न्तगत नहीं होने के

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

कारण खारिज किये जाने योग्य है। वादी की ओर से वाद संख्या 60/2021 बउनवानी राजेश बनाम गोपाल वगैरह के अर्न्तगत पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09. 2021 के निर्णय में में सहवन से टाइपिंग त्रुटिवश ग्राम खोराबिसल के स्थान पर "ग्राम रायथल" टंकित हो गया था, जिसको दुरुस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 व 152 सी०पी०सी० प्रस्तुत किया गया था । माननीय न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 12.10.2021 पारित फरमा कर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया गया था। आदेश 09 नियम 13 सी०पी०सी० के अर्न्तगत उक्त आदेश को मंसुख किये जाने की कोई विधिक एंव न्यायिक मंशा नहीं है। इस आधार पर प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होकर उक्त आपत्ति के आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने जवाब की नकल उपलब्ध करवाने एंव जवाब व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने का अनुतोष चाहा है। उक्त अनुतोष आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० के स्कॉप व परिधी के अर्न्तगत नहीं आता है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करने के पश्चात जवाब व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने की स्टेज समाप्त हो जाती है। नियमित वाद में अग्रिम कार्यवाही में भाग लिया जा सकता है परन्तु आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० में जवाब व साक्ष्य सबूत पेश करने का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० के स्कॉप व परिधी के अर्न्तगत नहीं होने के कारण सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किये गये है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। उक्त वाद में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 की विधिवत् रूप से तामील करवाई गई थी। प्रतिवादी संख्या 3 ने सम्मन/नोटिस लेने से इनकार कर दिया था। इस कारण तामिल कुनिन्दा ने ग्राम खौराबीसल के मूल निवासी दो गवाहान चौथमल व राजूलाल की उपस्थिति में प्रतिवादी संख्या 3 के आबाद मकान पर सम्मन/नोटिस चस्पा किये और उक्त वर्णित दोनों ही गवाहान के हस्ताक्षर तामील रिपोर्ट पर करवाकर माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष तामील रिपोर्ट पेश की थी । इस प्रकार तामील कुनिन्दा से तामील की विधिवत् रूप से प्रोपर प्रक्रिया का अनुसरण किया है । प्रतिवादी संख्या 3 ने जानबुझकर सम्मन ६ नोटिस लेने से इन्कार किया है। आदेश 5 नियम 17 सी०पी०सी० में स्पष्ट प्रावधान स्थापित है कि– जब प्रतिवादी तामील का प्रतिग्रहण करने से इन्कार करे या न पाया जाए तब प्रक्रिया – जहाँ प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है या जहाँ तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात ऐसे प्रतिवादी को न पा सके (जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है जब उस पर सम्मन की तामील उसे निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की सम्भावना नहीं है) और ऐसे कोई

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

अभिकर्ता नहीं है जो सम्मन की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिए सशक्त है और न कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है जिस पर तामील की जा सके, वहाँ तामील करने वाला अधिकारी उस गृह के, जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर सम्मन की एक प्रति लगायेगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबनध ऐसी रिपोर्ट के साथ जिससे यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसा लगा दिया और वे कौनसी परिस्थितियॉ थी, जिनमें उसने ऐसा किया, कथित होगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदि कोई हो) नाम और पता कथित होगा, जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई थी, उस न्यायालय को लौटायेगा, जिसने सम्मन निकाला था । माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.09.2021 को तामील कुनिन्दा की विधिवत तामील रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 की विधिवत तामील मानते हुए आदेश दिनांक 09.09.2021 को उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पूर्णतया विधिसम्मत एंव विधिक प्रक्रिया के तहत प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी, जिसको प्रतिवादी संख्या 3 मिथ्या व झूठे तथ्यो के आधार पर मंसुख करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 ने उक्त विधिवत् तामील को फर्जी व साजसी तामील बताकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। तामील कुनिन्दा ने विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए विधिवत् तामील करवाई थी जिसको फर्जी व साजसी तामील की संज्ञा देना कत्तई गलत व निराधार है। प्रार्थी आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा विधिवत् रूप से विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 पारित फरमाई गई है तथा वादी के प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 व 152 सी०पी०सी० पर सुनवाई करते हुए पत्रावली पर मौजूद तथ्यो व अभिलेखो का अवलोकर करने के उपरान्त आदेश दिनांक 12.10.2021 पारित फरमा कर निर्णय दिनांक 09. 09.2021 में संशोधन करके ग्राम रायथल के स्थान पर ग्राम खौराबीसल संशोधित किया गया था। प्रार्थी मिथ्या व झूठे तथ्यों के आधार पर आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० का लाभ प्राप्त करने का कत्तई अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने सर्वथा गैरकानूनी व विधि विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की आधार की मद संख्या 1 में वर्णित तथ्य अनुचित व गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी ने आदेश 09 नियम 13 सी०पी०सी० के अर्न्तगत इस मद में अपीलीय भाषा का प्रयोग किया है और प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09. 09.2021 को गुणावगुण पर इस तरह चुनौती दी है, जैसा कि प्राथमिक निर्णय व डिक्री प्रार्थी को सुनकर पारित की गई हो। इस मद में आपत्ति केवल और केवल धारा 223 आर. टी. एक्ट में ही उठाई जा सकती है। आदेश 09 नियम 13 सी०पी०सी० के अर्न्तगत उक्त आपत्ति पर न तो विचार किया जा सकता

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

है और ना ही विधि एंव कानून इस प्रकार की आपत्ति को आदेश 09 नियम 13 सी०पी०सी० के अर्न्तगत निस्तारण करने की अनुमति व इजाजत प्रदान करता है। उक्त जवाब तथ्यो की रोशनी में प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होकर सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की आधार की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य आदेश 09 नियम 13 सी०पी०सी० के स्कॉप व परिधी में नहीं होने के कारण अस्वीकार है। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली पर मौजूद अभिवचनो व प्रलेखीय साक्ष्यो को कन्सीडर करते हुए एंव उभय पक्षकारान् की आपसी सहमति के आधार पर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित फरमाई गई थी जिसको प्रार्थी आदेश 09 नियम 13 सी०पी०सी० के अर्न्तगत चुनौती देने का अधिकारी नहीं है। इस आधार पर प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है । प्रार्थना पत्र के आधार की मद संख्या 3 में प्रार्थी ने सर्वथा वेग प्लीडिंगयुक्त तथ्य दर्ज किये है। माननीय न्यायालय द्वारा विधिवत् रूप से निर्णय व डिक्री पारित फरमाई गई थी और विधिवत् रूप से वादी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय में संशोधन करने का आदेश पारित फरमाया गया था। प्रार्थी ने इस मद में यह अंकित किया कि– "मान्य न्यायालय ने निर्णय एंव डिक्री अधीन प्रार्थना पत्र पारित करने से पूर्व" उक्त तथ्य वेगं प्लडिंगयुक्त है। प्रार्थी बावजूद विधिवत् तामील माननीय न्यायालय के समक्ष अनुपस्थिति रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी स्वंय ने अपनी सुनवाई के अवसर को वेव ६ त्याग किया है। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा किसी भी प्रकार से प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तो की अव्हेलना नहीं की गई है। आदेश 09 नियम 13 सी०पी०सी० के अर्न्तगत प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अपास्त कराने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस मद में वर्णित तथ्य भी आदेश 09 नियम 13 सी०पी०सी० की परिधी एंव स्कॉप में नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है । प्रार्थना पत्र के आधार की मद संख्या 4 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से दर्ज किये गये है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 वादी द्वारा दिनांक 26.07.2021 को वाद प्रस्तुत करने के तथ्य विवादित नहीं है। प्रार्थी ने इस मद में दिनांक 31.08.2021 की पेशी के नोटिस प्रतिवादीगण को जारी करने के आदेश प्रदान करने का कथन किया है जो माननीय न्यायालय हाजा द्वारा संधारित आदेशिकाओ के सर्वथा प्रतिकूल व गलत होने के कारण अस्वीकार है। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.07.2021 को वाद नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के सूचना पत्र ६ नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये गये थे और दिनांक 28.07.2021 को डिस्पेच नम्बर 3241–49 तक के सम्मनध्नोटिस वास्ते तामील जारी कर दिये गये थे। दिनांक 31.08.2021 को पत्रावली वास्ते तामील इन्तजार में नियत थी और दिनांक 06.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल जाट की ओर से वकालतनामा पेश किया गया एंव अन्य प्रतिवादीगण की तामील पूर्व में हो चुकी थी। इस कारण पत्रावली में अग्रिम

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

Scanned with ACE Scanner

कार्यवाही हेतु आगामी पेशी 09. 09.2021 नियत की गई और दिनांक 09.09. 2021 को माननीय न्यायालय हाजा द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध बावजूद तामील अनुपस्थित होने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस प्रकार माननीय न्यायालय हाजा द्वारा तामील की विधिवत् प्रक्रिया अपनाई गई है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा सम्मन/नोटिस लेने से इन्कार करने पर ही तामील कुनिन्दा आदेश 5 नियम 17 सी०पी०सी० में स्थापित तामील प्रक्रिया के तहत विधिवत् तामील करवा दी थी। विधिवत् तामील को प्रार्थी ने फर्जी व साजसी तामिल की संज्ञा दी है जो कि सर्वथा गलत है। दिनांक 09. 09.2021 को उभय पक्षकारान् की सहमति से माननीय न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित फरमा कर तहसीलदार, आमेर से बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर सभी पक्षो को नोटिस देकर समस्त पक्षकारान् की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तीन–तीन प्रतियो में प्रस्तुत करने हेतु आदेशितधनिर्देशित किया गया। प्राथमिक निर्णय व डिक्री पूर्णतया विधिवत व विधिसम्मत है जो विधिक प्रक्रिया के अनुसरण में पारित फरमाई गई है जिसको निरस्त कराने का अधिकार प्रार्थी को प्राप्त नहीं है। प्रार्थी चाहे तो उक्त नियमित वाद की अग्रिम कार्यवाही में भाग ले सकता है । प्रार्थना पत्र के आधार की मद संख्या 5 में वर्णित तथ्य सर्वथा मिथ्या व गलत होने के कारण अस्वीकार है। इस मद में प्रार्थी ने परस्पर विरोधाभाषी कथन दर्ज किये है। एक तरफ तो प्रार्थी ने कथन किया कि– "प्रार्थी की पहचान किसने की इसका उल्लेख नहीं है।" दूसरी तरफ प्रार्थी ने कथन किया कि– "जिन गवाहो का नाम सम्मन पर राजू लाल व चौथमल दर्ज है, जो वादी के मिलने वाले व हितबद्ध व्यक्ति है ।" इस प्रकार प्रार्थी ने इसी मद में विरोधाभाषी कथन किये है जो विश्वसनीय नहीं है। जहाँ तक प्रश्न उक्त गवाह राजूलाल व चौथमल वादी के मिलने वाले व हितबद्ध व्यक्ति होने का प्रश्न है, इस संबंध में अपने प्रार्थना पत्र के साथ कोई सबूत व प्रमाण पेश नहीं किया है। आदेश 05 नियम 17 सी०पी०सी० में हितबद्ध व्यक्ति गवाह नहीं बन सकता हो, ऐसा उल्लेख नहीं है। प्रार्थी स्वंय के उक्त विरोधाभाषी कथनो से ही स्वतः प्रमाणित हो चुका है कि तामील कुनिन्दा तामील करवाने हेतु प्रार्थी के आबाद मकान पर गया था और प्रार्थी द्वारा सम्मन ६ नोटिस लेने से इन्कार करने पर रूबरू गवाहान सम्मन व नोटिस चस्पानगी की कार्यवाही सम्पन्न की गई थी। प्रार्थी को माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन वाद की पूर्ण जानकारी रही हैं क्योंकि उसकी विधिवत् तामील हुई है। सुस्थापित विधि के तहत लापरवाह व उदासीन पक्षकार की लापरवाही व उदासीनता की सजा उसके विपक्षी पक्षकार को नहीं भुगताई जा सकती है। प्रार्थी ने अपनी स्वंय की लापरवाही व उदासीनता का आरोप माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेशो पर लगाया है जो कत्तई उचित नहीं है। प्रार्थी को माननीय पवित्र न्याय मन्दिर के विरूद्ध इस प्रकार के अर्नगल आरोप लगाने के लिए कानून एंव न्याय कोई अनुमति प्रदान नहीं करता है। प्रार्थना पत्र के आधार की मद संख्या 6 सर्वथा गलत, अनुचित व मिथ्या होने के कारण अस्वीकार

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

माननीय न्यायालय हाजा द्वारा तामील कुनिन्दा के माध्यम से तामील प्रक्रिया पूर्ण की है। यदि न्यायालय द्वारा सम्मन/नोटिस जरिये डाक तामील हेतु प्रेषित किये जाते है और पोस्टमेन की टिप्पणी "बार–बार जाने पर भी नहीं मिला" की आने पर तामील कुनिन्दा को चस्पानगी के आदेश किये जाते है परन्तु मौजूदा प्रकरण में माननीय न्यायालय हाजा द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर ही तामील कुनिन्दा के जरिये तामील करवाई गई थी इसिलये चस्पानगी का आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एंव राजस्थान सरकार द्वारा पक्षकारो को त्वरित व प्रभावी न्याय प्रदान करने हेतु समय– समय दिशा निर्देश पारित किये गये है। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा उभय पक्षकारान् की सहमति से प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसमें प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में वर्णित तथ्य सर्वथा गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी बावजूद विधिवत् तामील माननीय न्यायालय के समक्ष जानबुझकर अनुपस्थित रहा है। प्रार्थी अग्रिम कार्यवाही में भाग ले सकता है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर सभी पक्षकारान् को नोटिस देकर समस्त पक्षकारान् की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार आमेर को आदेशित किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के किसी भी बचाव के अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य कोई साज नहीं रही है। मौजूदा वाद में विवादित आराजी में प्रार्थी का मकान का कोई मकान नहीं है। विवादित आराजी में मौजूद बोरिंग सामलाति है। वास्तविक तथ्य विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट में उजागर होना अपेक्षित है। इस मद में वर्णित शुभरामपुरा की भूमियो का विभाजन पृथक रूप से किया जाना है। इस आधार पर मौजूदा वाद में विचाराधीन राजस्व ग्राम खौराबीसल के विभाजन को बाधित नहीं किया जा सकता। वादी ने माननीय न्यायालय हाजा से कोई तथ्य नहीं छुपाये है। प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में भ्रामक व अनुचित तथ्य दर्ज किये है। इस मद में वर्णित तथ्य आदेश 09 नियम 13 सी०पी०सी० की परिधीं एंव स्कॉप के अर्न्तगत नहीं आते है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 में वर्णित तथ्य सर्वथा गलत होने के कारण अस्वीकार है । अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने कानूनी हिस्से का विभाजन चाहा है, जिससे प्रार्थी के किसी भी विधिक अधिकारो का हनन नहीं होता है। मिन अप्रार्थी अपने हिस्से की भूमि को दीगरान् को बैचान, हस्तान्तरण करने के लिए कत्तई आतुर नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 में वर्णित तथ्य अनुचित व ' मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० के अर्न्तगत जिस न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गई है, उसी न्यायालय के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप एंव आरोप लगाकर निर्णय व डिक्री को अपास्त/मंसुख करवाने की कोई विधि एंव विधिक प्रावधान स्थापित नहीं है। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री में सम्यक विवेचना नहीं करने का आरोप व आक्षेप लगाया है। अपीलेट कोर्ट के समक्ष ही इस

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

की आपत्तियां उठाई जा सकती है और अपीलेट कोर्ट ही इस प्रकार की आपत्तियो का निस्तारण करने में सक्षम है। माननीय न्यायालय को अपने स्वंय के विरूद्ध लगाये गये आरोप व आक्षेपो का निस्तारण करने की शक्तियॉ व क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं है । यह कि प्रार्थना पत्र के आधार की मद संख्या 10 सर्वथा गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी ने इस मद में तथ्यो की पुनरावृति की है। उपरोक्त जवाब मदो में विस्तृत जवाब दिया जा चुका है। प्रार्थी की विधिवत् रूप से तामील हुई है। प्रार्थी को प्रारम्भ से ही प्रकरण व उसमें पारित निर्णय डिक्री व आदेशो की पूर्ण जानकारी रही है। प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में सर्वथा मिथ्या व झूठे कथन किये है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र असाधारण विलम्ब से पेश किया है। प्रार्थी की नियत में प्रारम्भ से ही खोट व बेईमानी थी जो येनकेन प्रकारेण मामले में अनावश्यक विलम्ब कारित करना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 11 में प्रार्थी ने अपनी जौखिक पर न्याय शुल्क अदा की है। प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय हाजा के विरूद्ध प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाये है और सुस्थापित विधि के तहत आरोपी को अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपो का निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने कथन किया की मान्य न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी ने दिनांक 26.07.2021 को वाद प्रस्तुत किया जिस पर मान्य न्यायालय ने दिनांक 31.08.2021 की पेशी के नोटिस अप्रार्थीगण को जारी करने के आदेश किये है दिनांक 31.08.2021 की पेशी का कोई सम्मन/नोटिस लेकर तामील कुन्निदा प्रार्थी के पास नहीं आया है। प्रार्थी ने न ही न्यायालय हाजा का नोटिस लेने से ही मना किया है। वादी एवं अन्य अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के सम्मन नोटिस की इन्कारी से फर्जी व साजसी तामील कुन्निदा से मिलकर करवाई है एवं उस फर्जी एवं साजसी तामील के आधार पर मान्य न्यायालय ने दिनांक 09.09.2021 को प्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर उसी दिन एक पक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री अधीन प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय से प्रार्थी एवं अन्य अप्रार्थीगण साजकर करवाया गया है जो प्रथम दृष्टया ही अवैध होने से निरस्तनीय है।

अप्रार्थी ने मुख्य रूप से कथन किया की प्रार्थी ने माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया है परंतु उक्त प्रार्थना पत्र असाधारण रूप से मियाद बाहर पेश किया है जो मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 आधारहीन है जिसमें कोई ठोस आधार नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को कतई सफलता नहीं मिल सकती। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में सफलता की आशा रखना व्यर्थ एव निरर्थक है जो मृग तृष्णा के समान है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में प्रार्थी ने सर्वथा मिथ्या व गलत तथ्य अंकित किये है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी द्वारा

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with ACE Scanner

दिनांक 26.07.2021 को माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.07.2021 को वाद नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के सूचना पत्र/नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये गये थे और दिनांक 26.07.2021 को डिस्पेच नंबर 3241–49 तक के सम्मन/नोटिस वास्ते तामील जारी कर दिये गये थे। दिनांक 31.08.2021 को पत्रावली वास्ते तामील इंतजार में नियत थी और दिनांक 06.09.2021 को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल जाट की ओर से वकालतनामा पेश किया गया एवं अन्य अप्रार्थीगण की तामील पूर्व में हो चुकी थी। प्रार्थी ने उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने के लगभग 3 माह 9 दिन के असाधारण विलम्ब से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 पेश किया है और उक्त असाधारण विलम्ब का कोई युक्तियुक्त व संतोषप्रद कारण व स्पष्टीकरण नहीं बताया है। प्रार्थी ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0 एक्ट के तहत पेश नहीं की है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत अपीलीय भाषा का प्रयोग किया है। प्रार्थी भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने के लगभग 3 माह 9 दिन के असाधारण विलम्ब से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 पेश किया है और उक्त असाधारण विलम्ब का कोई युक्तियुक्त व संतोषप्रद कारण व स्पष्टीकरण नहीं बताया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी, धारा 5 मियाद अधिनियम, व आदेश 41 नियम 5 सपठित धारा 11 से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत कथन, पूर्ववर्ती वाद पत्र में अभिवचन विरोधाभासी है। प्रार्थी ने परस्पर विरोधाभाषी कथन दर्ज किये है। प्रार्थी ने कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 3 की तामील प्रोपर नही हुई है। एक तरफ तो प्रार्थी ने कथन किया कि– "प्रार्थी की पहचान किसने की इसका उल्लेख नहीं है।" दूसरी तरफ प्रार्थी ने कथन किया कि– "जिन गवाहो का नाम सम्मन पर राजू लाल व चौथमल दर्ज है, जो वादी के मिलने वाले व हितबद्व व्यक्ति है ।" इस प्रकार प्रार्थी ने इसी मद में विरोधाभाषी कथन किये है जो विश्वसनीय नहीं है। जहाँ तक प्रश्न उक्त गवाह राजूलाल व चौथमल वादी के मिलने वाले व हितबद्व व्यक्ति होने का प्रश्न है, इस संबंध में अपने प्रार्थना पत्र के साथ कोई सबूत व प्रमाण पेश नहीं किया है। आदेश 05 नियम 17 सी०पी०सी० में हितबद्व व्यक्ति गवाह नहीं बन सकता हो, ऐसा उल्लेख नहीं है। प्रार्थी स्वंय के उक्त विरोधाभाषी कथनो से ही स्वतः प्रमाणित हो चुका है कि तामील कुनिन्दा तामील करवाने हेतु प्रार्थी के आबाद मकान पर गया था और प्रार्थी द्वारा सम्मन/नोटिस लेने से इन्कार करने पर रूबरू गवाहान सम्मन व नोटिस चस्पानगी की कार्यवाही सम्पन्न की गई थी। प्रार्थी को विचाराधीन वाद की पूर्ण जानकारी रही हैं क्योंकि उसकी विधिवत्

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

तामील हुई है। सुस्थापित विधि के तहत लापरवाह व उदासीन पक्षकार की लापरवाही व उदासीनता की सजा उसके विपक्षी पक्षकार को नहीं भुगताई जा सकती है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम, आदेश 41 नियम 5 एवं आदेश 9 नियम 13 सीपीसी अस्वीकार कर खारिज किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Scanned with ACE Scanner